



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 11 जनवरी, 2018 / 21 पौष, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश  
(प्रारूप-8)

संशोधित विकास योजना पावंटा साहिब विशेष क्षेत्र के प्रकाशन का नोटिस

दिनांक: 03 जनवरी, 2018

संख्या: हिम/टी0सी0पी0/न0-50/2017-211.227.—हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पावंटा साहिब के लिए संशोधित विकास योजना साल 2017-2035 तक को एतद् द्वारा

प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त संशोधित प्रारूप विकास योजना कार्यालय समय के दौरान निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण हेतु उपलब्ध है:—

1. जिलाधीश, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश।
2. नगर एवं ग्राम योजनाकार, मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, नाहन, जिला सिरमौर, हि० प्र०।
3. प्रधान, ग्राम पंचायत शिवपुर, मुगलवाला करतारपुर, अंजौली, अमरकोट, बट्टीपुर, बेहराल, मतरालियों कुंजा, निहालगढ़, भांटावाली, नवादा, और फूलपुर। तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर, हि० प्र०।

उक्त संशोधित विकास योजना की विशिष्टियां निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

उक्त संशोधित विकास योजना की बाबत यदि कोई आक्षेप या सुझाव है तो उसे इस नोटिस के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर लिखित में जिलाधीश, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश या सदस्य सचिव, विशेष क्षेत्र प्राधिकरण, पावंटा साहिब एवं नगर एवं ग्राम योजनाकार, मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, नाहन, जिला सिरमौर, हि० प्र० को भेजी जाए।

### अनुसूची

1. विद्यमान भू-उपयोग नक्शे।
2. संशोधित विकास योजना के उपबन्धों को स्पष्ट करते हुए नक्शों और चार्टों द्वारा समर्थित वर्णनात्मक रिपोर्ट।
3. उपायुक्त द्वारा यथा सुझाए गए संशोधित विकास योजना के क्रियान्वयन की व्यवस्था।
4. संशोधित विकास योजना को प्रवर्तित करने के लिए उपबन्ध और रीति, जिसमें विकास की अनुज्ञा अभिप्राप्त की जा सकेगी, का कथन।
5. लोक प्रयोजनों के लिए भू-अर्जन की कीमत का अनुमानित प्राक्कलन और संशोधित विकास योजना के कार्यान्वयन में अन्तर्वलित संकर्मों की लागत।

स्थान: नाहन

तारीख: 03-01-2018

(बी० सी० बड़ालिया)  
उपायुक्त,  
जिला सिरमौर, नाहन,  
हिमाचल प्रदेश।

### TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH FORM -8

NOTICE OF PUBLICATION OF REVISED DEVELOPMENT PLAN OF  
PAONTA SAHIB SPECIAL AREA, 2017-2035

*Dated: the 03<sup>rd</sup> January, 2018*

**No. HIM/TCP/N-50/2017- 211-227.**—In exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 19 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 the Revised Development Plan of Paonta Sahib Special Area, 2017-2035 is hereby published and the Notice is given that a copy of the said Revised Development Plan is available for inspection during the office hours in the following offices:—

1. Deputy Commissioner-cum-Chairman SADA Distt Sirmour at Nahan, Himachal Pradesh.
2. The Town and Country Planner-cum-Member Secretary Paonta Sahib Divisional Town Planning Office, Nahan, Himachal Pradesh.
3. The Pradhan's, Gram Panchayat Ajauli, Mugalwala Kartarpur, Behral, Shivpur, Amarkot, Badripur, Matralion Kunja, Nihalgarrh, Bhattanwali, Nawada and Phoolpur Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmour, Himachal Pradesh.

The particulars of the said Revised Development Plan (Draft) of Paonta Sahib Special Area, 2017-2035 has been specified in the Schedule below.

If there be any objection or suggestion with respect to the said Revised Development Plan (Draft) of Paonta Sahib Special Area, 2017-2035, it should be sent in writing to the Chairman, Special Area Development Authority, Paonta Sahib -cum- Deputy Commissioner, District Sirmour, Himachal Pradesh or to the Member Secretary, SADA Paonta Sahib-cum-Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Nahan, Distt. Sirmour, H.P. within thirty days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

#### SCHEDULE

1. The Existing Land Use Maps.
2. A narrative report, supported by maps and charts explaining the provisions of the Revised Development Plan.
3. The phasing of implementation of the Revised Development Plan as suggested by the Chairman.
4. The provisions for enforcing the Revised Development Plan and stating the manner in which permission for development may be obtained.
5. The provisions to acquire land for public purposes involved in the implementation of the Revised Development Plan.

Place: Nahan.

Date 03-01-2018

Sd./-

(B.C. BADALIA)

*DC Sirmour -cum- Chairman SADA,  
Paonta Sahib, District Sirmour, (H.P.).*

#### INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 8<sup>th</sup> January, 2018*

**No. Pub-B(1)-1/2018.**—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order creation of one post of Advisor (Information and Public Relations) in Information and Public Relations Department, H.P.

2. The post of Advisor (Information and Public Relations) shall be co-terminus with the term of present government on the fixed emoluments of ₹ 1,44,200/- (₹ One Lakh Forty Four Thousand and Two Hundred) only.

3. This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained vide their U.O No. 54189110-Fin-F/2017 dated 05-01-2018.

By order,  
MANISHA NANDA,  
Addl. Chief Secretary (I&PR).

## वन विभाग

### अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

**संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14)174/2014.**—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी ।

### अनुसूची

| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं                           | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला  |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------|---------------|----------|-------|
| 1.          | 7/2002       | अमरीच गाड़                                                              | डवराती धार                     | 7/1        | 1236-75-58           | उत्तर: सीमा जिला किनौर<br>दक्षिण: महाल | डोडरा क्वार   | रोहडू    | शिमला |

|  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | भराड़ासर<br>धार                   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | पूर्व:<br>महाल<br>भराड़ासर<br>धार |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | पश्चिम:<br>महाल<br>डवराती<br>धार  |  |  |  |

आदेश द्वारा,  
तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

*[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-174 /2014, Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]*

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 7th December, 2017*

**No.FFE-B-F(14)-174/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section- 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

### SCHEDULE

| S. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries      | Forest Range | Forest Division | District |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 1.     | 7/2002   | Amrich Gad                                                                | Davrati Dhar                   | 7/1        | 1236-75-58      | North: Boundary District | Dodra Kaware | Rohru           | Shimla   |

|  |  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | Kinnaur                                |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | South:<br>Muhali<br>Bharadasar<br>Dhar |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | East:<br>Muhali<br>Bharadasar<br>Dhar  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | West:<br>Muhali<br>Dawrati<br>Dhar     |  |  |  |

By order,  
TARUN KAPOOR,  
Additional Chief Secretary (Forests).

### वन विभाग

### अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

**संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14) 175/2014.**—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी ।

### अनुसूची

| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर       | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं  | वन परिक्षेत्र          | वन मण्डल | जिला  |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|---------------|------------------------|----------|-------|
| 1.          | 8/2002       | मोरयान्डू                                                               | चोशल धार                       | 5/1, 6<br>किता 2 | 293-08-56            | उत्तर: चोहारा | महाल<br>डोडरा<br>क्वार | रोहडू    | शिमला |

|  |  |  |  |  |  |                                                           |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | दक्षिण: डी0पी0एफ0<br>वातरी गाड़                           |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | पूर्व: महाल<br>इन्द्रासैनधार, डी0पी0<br>एफ0<br>वातरी गाड़ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | पश्चिम: चांशल धार                                         |  |  |  |

आदेश द्वारा,  
तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

*[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-175 /2014, Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]*

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 7th December, 2017*

**No.FFE-B-F(14)-175/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section- 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

### SCHEDULE

| S. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No.        | Area in Hectare | Cardinal Boundaries                             | Forest Range   | Forest Division | District |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------|
| 1.     | 8/2002   | Moryantu                                                                  | Chanshal Dhar                  | 5/1, 6<br>Kitta 2 | 293-08-56       | North:<br>Muhal<br>Chohara<br><br>South:<br>DPF | Dodra<br>Kawar | Rohru           | Shimla   |

|  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | vatri Gad                                    |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | East:<br>Indrasain<br>Dhar, DPF<br>Vatri Gad |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | West:<br>Chanshal<br>Dhar                    |  |  |  |

By order,  
TARUN KAPOOR  
Additional Chief Secretary (Forests).

### वन विभाग

### अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

**संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14) 176/2014.**—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी ।

### अनुसूची

| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं                                            | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला  |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|
| 1.          | 9/2002       | कईवाल्दू                                                                | चांशल धार                      | 3/1        | 194-31-16            | उत्तर:<br>महाल चांशल धार<br><br>दक्षिण:<br>महाल इस्त्री | डोडरा क्वार   | रोहडू    | शिमला |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                               |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | गाड़<br>(उत्तराखण्ड)<br><br>पूर्व: महाल<br>चांशाल<br>धार<br><br>पश्चिम:<br>महाल<br>चांशाल धार |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

आदेश द्वारा,  
तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

*[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)- 176 /2014, Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]*

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 7th December, 2017*

**No.FFE-B-F(14)-176/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section- 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

### SCHEDULE

| S. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries        | Forest Range | Forest Division | District |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 1.     | 9/2002   | Kaivaltu                                                                  | Chanshal Dhar                  | 3/1        | 194-31-16       | North: Muhal Chanshal Dhar | Dodra Kawar  | Rohru           | Shimla   |

|  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | South:<br>Muhall<br>Istri Gad<br>(UK) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | East:<br>Muhall<br>Chanshal<br>Dhar   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | West:<br>Muhall<br>Chanshal<br>Dhar   |  |  |  |

By order,  
TARUN KAPOOR,  
Additional Chief Secretary (Forests).

### वन विभाग

### अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

**संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14) 177/2014.**—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी ।

### अनुसूची

| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला  |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|--------------|---------------|----------|-------|
| 1.          | 45/2002      | मोती धार                                                                | भराड़ासर धार                   | 15/1       | 20-67-54             | उत्तर: महाल  | डोडरा क्वार   | रोहडू    | शिमला |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | पण्डार<br>दक्षिण:<br>महाल<br>भराडासर<br>धार<br>पूर्व: महाल<br>भराडासर<br>धार<br>पश्चिम:<br>डी0पी0एफ0<br>पण्डार |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

आदेश द्वारा,  
तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

*[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)- 177 /2014, Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]*

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 7th December, 2017*

**No.FFE-B-F(14)-177/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section- 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

### SCHEDULE

| S. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Forest Division | District |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|----------|
| 1.     | 45/2002  | Moti Dhar                                                                 | Bharadasar                     | 15/1       | 20-67-54        | North:              | Dodra        | Rohru           | Shimla   |

|  |  |  |      |  |  |                              |       |  |  |
|--|--|--|------|--|--|------------------------------|-------|--|--|
|  |  |  | Dhar |  |  | Muhal Pandar                 | Kawar |  |  |
|  |  |  |      |  |  | South: Muhal Bharadasar Dhar |       |  |  |
|  |  |  |      |  |  | East: Muhal Bharadasar Dhar  |       |  |  |
|  |  |  |      |  |  | West: DPF Pandar             |       |  |  |

By order,  
TARUN KAPOOR,  
Additional Chief Secretary (Forests).

### वन विभाग

### अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

**संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14) 178/2014.**—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

### अनुसूची

| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला  |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|--------------|---------------|----------|-------|
| 1.          | 2/2003       | निरगाणी गाड                                                             | डवराती धार                     | 5/2/1      | 44-42-88             | उत्तर: जिला  | डोडरा क्वार   | रोहडू    | शिमला |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                             |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | किनौर<br>दक्षिण:<br>महाल<br>जाखा<br>पूर्व:<br>महाल<br>पण्डार<br>पश्चिम:<br>महाल<br>पिसरगाड़ |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

आदेश द्वारा,  
तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)- 178 /2014 , Dated 7th December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th December, 2017

**No.FFE-B-F(14)-178/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section- 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

### SCHEDULE

| S. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Forest Division | District |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|----------|
| 1.     | 2/2003   | Nirgani Gad                                                               | Davrati Dhar                   | 5/2/1      | 44-42-88        | North: District     | Dodra Kavar  | Rohru           | Shimla   |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | Kinnaur<br>South:<br>Muhul<br>Jakha<br>East:<br>Muhul<br>Pandar<br>West:<br>Muhul<br>Pisar Gad |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

By order,  
TARUN KAPOOR,  
Additional Chief Secretary (Forests).

### वन विभाग

#### अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

**संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14)179/2014.**—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी ।

### अनुसूची

| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं                                                          | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला  |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|
| 1           | 12/2003      | रड़कीथूई                                                                | लम्बीधार                       | 1/1        | 244-72-36            | उत्तर: महाल पेखा दिउदी<br>दक्षिण: महाल जाखा<br>पूर्व: महाल डवराती धार | डोडरा क्वार   | रोहडू    | शिमला |

|  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | पश्चिम: महाल<br>इन्द्रासैन धार |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|

आदेश द्वारा,  
तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

*[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)- 179 /2014, Dated 7<sup>th</sup> December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]*

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 7<sup>th</sup> December, 2017*

**No.FFE-B-F(14)-179/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

### SCHEDULE

| S. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries                            | Forest Range | Forest Division | District |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 1      | 12/2003  | Radki Thui                                                                | Lambi Dhar                     | 1/1        | 244-72-36       | North: Muhal Pekha Deudi<br>South: Muhal Jakha | Dodra Kawar  | Rohru           | Shimla   |

|  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | East: Muhal<br>Dawrati Dhar   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | West: Muhal<br>Indrasain Dhar |  |  |  |

By order,  
TARUN KAPOOR  
Additional Chief Secretary (Forests).

### वन विभाग

### अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

**संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14) 180/2014.**—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी ।

### अनुसूची

| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर        | क्षेत्र हैक्टेयर | मुख्य सीमाएं                                                                                                           | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला  |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|
| 1.          | 15/2003      | कालापानी                                                            | चांशल धार                      | 10/1, 1<br>किता 2 | 212-55-06        | उत्तर: डी0पी0एफ0 वातरी गाड़<br><br>दक्षिण: महाल चांशल धार<br><br>पूर्व: महाल डोडरा अब्बल<br><br>पश्चिम: महाल चांशल धार | डोडरा क्वार   | रोहड़ू   | शिमला |

आदेश द्वारा,  
तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)- 180 /2014, Dated 7<sup>th</sup> December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 7<sup>th</sup> December, 2017

**No.FFE-B-F(14)-180/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

### SCHEDULE

| S. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No.             | Area in Hectare | Cardinal Boundaries                                                                                                    | Forest Range | Forest Division | District |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 1      | 15/2003  | Kala Pani                                                                 | Chanshal Dhar                  | 10/1, 11/1<br>Kitta= 2 | 212-55-06       | North: DPF Vatri Gad<br><br>South: Muhal Chanshal Dhar<br><br>East: Muhal Dodra Abbal<br><br>West: Muhal Chanshal Dhar | Dodra Kawar  | Rohru           | Shimla   |

By order,  
TARUN KAPOOR  
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 2017

**संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14) 181 /2014.**—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की

जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी ।

### अनुसूची

| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर     | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं                                                                                                                       | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला  |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|
| 1           | 16/2003      | कंडर थाच गाड                                                            | भराड़ासर धार                   | 9/1, 11/किता 2 | 45-97-08             | उत्तर: महाल भराड़ासर धार<br>दक्षिण: महाल भराड़ासर धार<br>पूर्व: महाल भराड़ासर धार<br>पश्चिम: डी0पी0एफ0 पण्डार यू0पी0एफ0 बादगिल गाड | डोडरा क्वार   | रोहडू    | शिमला |

आदेश द्वारा,  
तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)- 181 /2014, Dated 7<sup>th</sup> December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 7<sup>th</sup> December, 2017

**No.FFE-B-F(14)-181/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the

schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

### SCHEDULE

| S. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No.         | Area in Hectare | Cardinal Boundaries                                                                                                                         | Forest Range | Forest Division | District |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 1.     | 16/2003  | Kandar Thach Gad                                                          | Bharadasar Dhar                | 9/1, 11/1 Kitta- 2 | 45-97-08        | North: Muhal Bharadasar Dhar<br><br>South: Muhal Bharadasar Dhar<br><br>East: Muhal Bharadasar Dhar<br><br>West: DPF Pandar, UPF badgil Gad | Dodra Kawar  | Rohru           | Shimla   |

By order,  
TARUN KAPOOR  
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 दिसम्बर, 2017

संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14) 182/2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

### अनुसूची

| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं                                                                                  | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला  |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|
| 1.          | 19/2003      | जाखा                                                                    | डवराती धार                     | 4/1        | 41-51-60             | उत्तर: महाल लम्बी धार<br>दक्षिण: डी0पी0एफ0जाखा<br>पूर्व: महाल डवराती धार<br>पश्चिम: महाल जाखा | डोडरा क्वार   | रोहडू    | शिमला |

आदेश द्वारा,  
तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

-----

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)- 182 /2014, Dated 11<sup>th</sup> December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 11<sup>th</sup> December, 2017*

**No.FFE-B-F(14)-182/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-

IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

### SCHEDULE

| S. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries                                                                                      | Forest Range | Forest Division | District |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 1.     | 19/2003  | Jakha                                                                     | Davrati Dhar                   | 4/1        | 41-51-60        | North: Muhal Lambi Dhar<br><br>South: DPF Jakha<br><br>East: Muhal Dawrati Dhar<br><br>West: Muhal Jakha | Dodra Kaware | Rohru           | Shimla   |

By order,  
TARUN KAPOOR  
Additional Chief Secretary (Forests).

### वन विभाग

### अधिसूचना

शिमला-2, 11 दिसम्बर, 2017

**संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14) 183/2014.**—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी ।

## अनुसूची

| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं                                                                                       | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला  |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|
| 1.          | 21/2003      | पण्डार                                                                  | पण्डार                         | 79/1       | 251-67-38            | उत्तर: महाल डवराती धार<br>दक्षिण: डी0पी0एफ0 पण्डार<br>पूर्व: महाल पण्डार<br>पश्चिम: डी0पी0एफ0 जाखा | डोडरा क्वार   | रोहडू    | शिमला |

आदेश द्वारा,  
तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-184 /2014, Dated 11<sup>th</sup> December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

## FORESTS DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Shimla-2, the 11<sup>th</sup> December, 2017

**No.FFE-B-F(14)-183/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

**SCHEDULE**

| S. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries                                                                                 | Forest Range | Forest Division | District |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 1.     | 21/2003  | Pandar                                                                    | Pandar                         | 79/1       | 251-67-38       | North: Muhal Dawrati Dhar<br><br>South: DPF Pandar<br><br>East: Muhal Pandar<br><br>West: DPF Jakha | Dodra Kawar  | Rohru           | Shimla   |

By Order,  
TARUN KAPOOR  
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 दिसम्बर, 2017

**संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14) 184/2014.**—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी ।

## अनुसूची

| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं                                                                                                      | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला  |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|
| 1.          | 24 / 2003    | कल्याण थाच                                                              | भराड़ासर धार                   | 15 / 1     | 21—59—42             | उत्तर: महाल डवराती धार<br><br>दक्षिण: डी0पी0एफ0 पण्डार<br><br>पूर्व: महाल भराड़ासर धार<br><br>पश्चिम: महाल पण्डार | डोडरा क्वार   | रोहडू    | शिमला |

आदेश द्वारा,  
तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

*[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-184 /2014, Dated 11<sup>th</sup> December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]*

**FORESTS DEPARTMENT**

## NOTIFICATION

*Shimla-2, the 11<sup>th</sup> December, 2017*

**No.FFE-B-F(14)-184/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

## SCHEDULE

| S. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries | Forest Range | Forest Division | District |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|----------|
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|----------|

|    |         |              |                 |      |          |                                                                                                     |             |       |        |
|----|---------|--------------|-----------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|
| 1. | 24/2003 | Kalyan Thach | Bharadasar Dhar | 15/1 | 21-59-42 | North: Muhal Dawrati Dhar<br>South: DPF Pandar<br>East: Muhal Bharadasar Dhar<br>West: Muhal Pandar | Dodra Kavar | Rohru | Shimla |
|----|---------|--------------|-----------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|

By Order,  
TARUN KAPOOR  
Additional Chief Secretary (Forests).

### वन विभाग

### अधिसूचना

शिमला-2, 11 दिसम्बर, 2017

**संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14) 185/2014.**—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी ।

### अनुसूची

| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं                                                                                         | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला  |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|
| 1           | 29/2003      | खईटूथाच                                                                 | इन्द्रसैन धार                  | 1/1        | 352-28-50            | उत्तर: महाल पेखा दिउदी<br>दक्षिण: महाल इन्द्रसैन धार<br>पूर्व: महाल जाखा, जसकुन<br>पश्चिम: महाल पेखा | डोडरा कवार    | रोहडू    | शिमला |

|  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | दिउदी, चांशल धार |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|

आदेश द्वारा,  
तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

*[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-185 /2014, Dated 11<sup>th</sup> December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India]*

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 11<sup>th</sup> December, 2017*

**No.FFE-B-F(14)-185/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

### SCHEDULE

| S. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries                                                                          | Forest Range | Forest Division | District |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 1      | 29/2003  | Khaitu Thach                                                              | Indersain Dhar                 | 1/1        | 352-28-50       | North: Muhal Pekha Deudi<br><br>South: Muhal Indrasain Dhar<br><br>East: Muhal Jakha, jaskun | Dodra Kawar  | Rohru           | Shimla   |

|  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | West: Muhal<br>Pekha Deudi,<br>Chanshal<br>Dhar |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|

By order,  
TARUN KAPOOR  
Additional Chief Secretary (Forests).

### वन विभाग

### अधिसूचना

शिमला-2, 11 दिसम्बर, 2017

**संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14) 186/2014.**—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी ।

### अनुसूची

| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं                                                                                                                 | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला  |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|
| 1.          | 30/2003      | डोडू                                                                    | इन्द्रसैन धार                  | 1/1        | 391-22-68            | उत्तर: महाल इन्द्रासैन धार<br><br>दक्षिण: महाल इन्द्रासैन धार<br><br>पूर्व: डी0पी0एफ0जाखा<br><br>पश्चिम: महाल इन्द्रासैन धार | डोडरा क्वार   | रोहडू    | शिमला |

आदेश द्वारा,  
तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

*[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-186 /2014, Dated 11<sup>th</sup> December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]*

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 11<sup>th</sup> December, 2017*

**No.FFE-B-F(14)-186/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

### SCHEDULE

| S. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries                                                                                                     | Forest Range | Forest Division | District |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 1      | 30/2003  | Dodu                                                                      | Inderasain Dhar                | 1/1        | 391-22-68       | North: Muhal Indrasain Dhar<br><br>South: Muhal Indrasain Dhar<br><br>East: DPF Jakha<br><br>West: Muhal Indrasain Dhar | Dodra Kawar  | Rohru           | Shimla   |

By order,  
TARUN KAPOOR,  
*Additional Chief Secretary (Forests).*

## वन विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 11 दिसम्बर, 2017

**संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14) 187/2014.**—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी ।

## अनुसूची

| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं                                                                                    | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला  |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|
| 1.          | 31/2003      | मियाँ                                                                   | पण्डार                         | 80/1       | 119-87-79            | उत्तर: महाल पण्डार<br>दक्षिण: महाल भराडासर धार<br>पूर्व: महाल डवराती धार<br>पश्चिम: महाल पण्डार | डोडरा क्वार   | रोहडू    | शिमला |

आदेश द्वारा,  
तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

*[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-187 /2014, Dated 11<sup>th</sup> December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]*

## FORESTS DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Shimla-2, the 11<sup>th</sup> December, 2017

**No.FFE-B-F(14)-187/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the

schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

### SCHEDULE

| S. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries                                                                                               | Forest Range | Forest Division | District |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 1.     | 31/2003  | Miyan                                                                     | Pandar                         | 80/1       | 119-87-79       | North: Muhal Pandar<br><br>South: Muhal Bharadasar Dhar<br><br>East: Muhal Dawrati Dhar<br><br>West: Muhal Pandar | Dodra Kawar  | Rohru           | Shimla   |

By order,  
TARUN KAPOOR,  
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 दिसम्बर, 2017

**संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14)188/2014.**—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी।

### अनुसूची

| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं                                                                                    | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला  |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|
| 1.          | 32/2003      | क्वार-तृतीय                                                             | अशान्दा                        | 1338       | 42-44-64             | उत्तर: महाल अशान्दा<br>दक्षिण: महाल घोड़मुण्डधार<br>पूर्व: महाल अशान्दा<br>पश्चिम: महाल अशान्दा | डोडरा क्वार   | रोहडू    | शिमला |

आदेश द्वारा,  
तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

*[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-188/2014, Dated 11<sup>th</sup> December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]*

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 11<sup>th</sup> December, 2017*

**No.FFE-B-F(14)-188/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

**SCHEDULE**

| S. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries                                                                              | Forest Range | Forest Division | District |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 1.     | 32/2003  | Kawar-III                                                                 | Ashanda                        | 1338       | 42-44-64        | North: Muhal Ashanda<br>South: Muhal Ghodmund Dhar<br>East: Muhal Ashanda<br>West: Muhal Ashanda | Dodra Kawar  | Rohru           | Shimla   |

By order,  
TARUN KAPOOR,  
Additional Chief Secretary (Forests).

**वन विभाग****अधिसूचना**

शिमला-2, 11 दिसम्बर, 2017

**संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14) 189/2014.**—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी ।

**अनुसूची**

| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर         | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं                                       | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला  |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|-------|
| 1.          | 56/2003      | बुटाड़ी गाड़                                                            | चांशल धार                      | 1/1, 3/1<br>किता 2 | 198-58-36            | उत्तर: महाल चांशल धार<br>दक्षिण: महाल इस्त्री गाड़ | डोडरा क्वार   | रोहडू    | शिमला |

|  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | पूर्व: महाल<br>चांशल धार  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | पश्चिम: महाल<br>चांशल धार |  |  |  |

आदेश द्वारा,  
तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

*[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-189 /2014, Dated 11<sup>th</sup> December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]*

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 11<sup>th</sup> December, 2017*

**No.FFE-B-F(14)-189/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

### SCHEDULE

| S. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No.          | Area in Hectare | Cardinal Boundaries                                                                                            | Forest Range | Forest Division | District |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 1      | 56/2003  | Butadi Gad                                                                | Chanshal Dhar                  | 1/1, 3/1<br>Kitta 2 | 198-58-36       | North: Muhal Chanshal Dhar<br>South: Muhal Istri Gad<br>East: Muhal Chanshal Dhar<br>West: Muhal Chanshal Dhar | Dodra Kavar  | Rohru           | Shimla   |

By order,  
TARUN KAPOOR,  
Additional Chief Secretary (Forests).

## वन विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 11 दिसम्बर, 2017

**संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14) 191/2014.**—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी ।

## अनुसूची

| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर                 | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं                                                                                 | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला  |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|
| 1.          | 76/2003      | गजयाणी थाच                                                              | चांशल धार                      | 1/1, 4, 5/1, 9/1<br>किता 4 | 566-59-88            | उत्तर: महाल चौहारा<br>दक्षिण: महाल चांशल धार<br>पूर्व: महाल चांशल धार<br>पश्चिम: महाल चौहारा | डोडरा क्वार   | रोहडू    | शिमला |

आदेश द्वारा,  
तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

*[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-191 /2014, Dated 11<sup>th</sup> December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]*

## FORESTS DEPARTMENT

## NOTIFICATION

*Shimla-2, the 11<sup>th</sup> December, 2017*

**No.FFE-B-F(14)-191/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the

schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

### SCHEDULE

| S. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No.                   | Area in Hectare | Cardinal Boundaries                                                                                    | Forest Range | Forest Division | District |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 1.     | 76/2003  | Gajyani Thach                                                             | Chanshal Dhar                  | 1/1, 4, 5/1, 9/1<br>Kitta- 4 | 566-59-88       | North: Muhal Chohara<br>South: Muhal Chanshal Dhar<br>East: Muhal Chanshal Dhar<br>West: Muhal Chohara | Dodra Kawar  | Rohru           | Shimla   |

By order,  
TARUN KAPOOR,  
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 दिसम्बर, 2017

संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14) 192/2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन

भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

### अनुसूची

| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर              | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं                                                                                                           | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला  |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|
| 1.          | 77/2003      | भजोड़ धार                                                               | भराडासर धार                    | 20/1, 21/24/1<br>किता 3 | 628-10-02            | उत्तर: महाल भराडासर धार<br><br>दक्षिण: महाल भराडासर धार<br><br>पूर्व: महाल भराडासर धार<br><br>पश्चिम: महाल भराडासर धार | डोडरा क्वार   | रोहडू    | शिमला |

आदेश द्वारा,  
तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-192 /2014, Dated 11<sup>th</sup> December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 11<sup>th</sup> December, 2017

**No.FFE-B-F(14)-192/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

**SCHEDULE**

| S. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No.                            | Area in Hectare | Cardinal Boundaries                                                                                                                    | Forest Range | Forest Division | District |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 1.     | 77/2003  | Bhajod Dhar                                                               | Bharadasar Dhar                | 20/1,<br>21/1,<br>24/1<br><br>Kitta 3 | 628-10-02       | North: Muhal Bharadasar Dhar<br><br>South: Muhal Bharadasar Dhar<br><br>East: Muhal Bharadasar Dhar<br><br>West: Muhal Bharadasar Dhar | Dodra Kaware | Rohru           | Shimla   |

By order,  
TARUN KAPOOR,  
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 दिसम्बर, 2017

संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14) 193/2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी ।

## अनुसूची

| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल क नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमा                                                                                                | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला  |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|
| 1.          | 80/2003      | पावा                                                                    | लम्बी धार                     | 1/1        | 122-65-08            | उत्तर: महाल लम्बीधार<br><br>दक्षिण: महाल जाखा<br><br>पूर्व: महाल डवराती धार<br><br>पश्चिम: महाल लम्बी धार | डोडरा क्वार   | रोहडू    | शिमला |

आदेश द्वारा,  
तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)- 193 /2014, Dated 11<sup>th</sup> December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

## FORESTS DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Shimla-2, the 11<sup>th</sup> December, 2017

**No.FFE-B-F(14)-193/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter- IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

**SCHEDULE**

| S. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries                                                                                | Forest Range | Forest Division | District |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 1.     | 80/2003  | Pawa                                                                      | Lambi Dhar                     | 1/1        | 122-65-08       | North: Muhal Lambi Dar<br>South: Muhal Jakha<br>East: Muhal Dawrati Dhar<br>West: Muhal Lambi Dhar | Dodra Kwar   | Rohru           | Shimla   |

By Order,  
TARUN KAPOOR,  
Additional Chief Secretary (Forests).

**वन विभाग****अधिसूचना**

शिमला-2, 11 दिसम्बर, 2017

संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14) 194/2014.—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

**अनुसूची**

| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं      | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला  |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|-------------------|---------------|----------|-------|
| 1.          | 84/2003      | पिसरगाड़                                                                | डवराती धार                     | 5/1        | 813-82-72            | उत्तर: जिला किनौर | डोडरा क्वार   | रोहडू    | शिमला |

|  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | दक्षिण: डी0पी0एफ0<br>जाखा               |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | पूर्व: महाल पण्डार<br>पश्चिम: महाल जाखा |  |  |  |

आदेश द्वारा,  
तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-194 /2014, Dated 11<sup>th</sup> December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 11<sup>th</sup> December, 2017

**No.FFE-B-F(14)-194/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

### SCHEDULE

| S. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No. | Area in Hectare | Cardinal Boundaries                                                       | Forest Range | Forest Division | District |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 1.     | 84/2003  | Pisar Gad                                                                 | Davrati Dhar                   | 5/1        | 813-82-72       | North: District kinnaur<br><br>South: DPF Jakha<br><br>East: Muhal Pandar | Dodra Kawar  | Rohru           | Shimla   |

|  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | West: Muhal<br>Jakha |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|

By order,  
TARUN KAPOOR,  
Additional Chief Secretary (Forests).

## वन विभाग

### अधिसूचना

शिमला-2, 11 दिसम्बर, 2017

**संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14) 195/2014.**—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर, सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी ।

### अनुसूची

| क्रम संख्या | नस्ति संख्या | वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है | हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम | खसरा नम्बर                                     | क्षेत्र हैक्टेयर में | मुख्य सीमाएं                                                                                                                            | वन परिक्षेत्र | वन मण्डल | जिला  |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|
| 1.          | 85/2003      | खूरशूवाला                                                               | डोडरा अब्बल,<br>चांशल धार      | 108/1,<br>586/1<br><br>10/1,11/1<br><br>किता 4 | 126-78-54            | उत्तर:-<br>डी0पी0एफ0<br>वातरी गाड़<br><br>दक्षिण: महाल<br>डोडरा दोयम<br><br>पूर्व: महाल<br>डोडरा क्वार<br><br>पश्चिम: महाल<br>चांशल धार | डोडरा क्वार   | रोहड़ू   | शिमला |

आदेश द्वारा,  
तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

*[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-195 /2014, Dated 11<sup>th</sup> December, 2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]*

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 11<sup>th</sup> December, 2017*

**No.FFE-B-F(14)-195/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ waste land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section- 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

### SCHEDULE

| S. No. | File No. | Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests | Name of Muhal with Hadbast No. | Khasra No.                               | Area in Hectare | Cardinal Boundaries                                                                                                                    | Forest Range | Forest Division | District |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 1.     | 85/200   | Khurshuwala                                                               | Dodra Abbal,<br>Chanshal Dhar  | 108/1, 586/<br>10/1, 11/1<br><br>Kitta 4 | 126-78-54       | North: DPF<br>Vatri Gad<br><br>South:<br>Muhal Dodra<br>Doyam<br><br>East: Muhal<br>Dodra Kavar<br><br>West: Muhal<br>Chanshal<br>Dhar | Dodra Kavar  | Rohru           | Shimla   |

By order,  
Tarun Kapoor  
*Additional Chief Secretary (Forests).*

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

धर्मशाला—176215, 10 जनवरी, 2018

संख्या वि०स०:—विधायन—चुनाव/1-11/2018.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की दिनांक 10 जनवरी, 2018 को हुई बैठक में डॉ० राजीव बिन्दल को सर्व-सम्मति से विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया ।

आदेश द्वारा,  
सुन्दर सिंह वर्मा,  
सचिव,  
हि० प्र० विधान सभा।

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

*Dharamshala, the 10<sup>th</sup> January, 2018*

**No. VS-Legn.-Election/1-11/2018.**— In the meeting of the Himachal Pradesh Legislative Assembly held on the 10<sup>th</sup> January, 2018 (fore-noon), Dr. Rajeev Bindal, was unanimously elected as Speaker of the Himachal Pradesh Legislative Assembly.

By order,  
SUNDER SINGH VERMA,  
Secretary,  
H.P. Vidhan Sabha.

*[Authoritative English Text of this Notification No. 1-58/69-Fin(LA)-196 dated 9-01-2018 as required under clause (3) of Articles 348 of the Constitution of India.]*

LOCAL AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

*Dated: .....*

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Local Audit Department, Joint Director/Joint Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 notified *vide* this Department Notification No. 1-58/69 Fin(LA)Part(1), dated 16-03-2009, and further amended *vide* this Department Notification No. 1 58/69-Fin(LA)Part(1), dated 30-12-2016 namely:—

**1. Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Local Audit Department, Joint Director/Joint Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (Second Amendment) Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta, Himachal Pradesh.

**Amendment of the column 2 of Annexure-"A".**—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Local Audit Department, Joint Director/Joint Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 :

For the existing provisions against column No 2, the following shall be substituted, namely:—

“4 (Four)”

By order,  
Sd/-  
Additional Chief Secretary (Finance).

*[Authoritative English Text of this Notification No. 1-58/69-Fin(LA)-169 dated 9-01-2018 as required under clause (3) of Articles 348 of the Constitution of India.]*

## LOCAL AUDIT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Dated: .....*

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Local Audit Department, Deputy Director/Deputy Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 notified vide this Department Notification No. 1-58/69-Fin(LA)Part(1), dated 04-03-2009, and further amended vide this Department Notification No. 1 58/69-Fin(LA)Part(1), dated 30-12-2016 namely:—

**1. Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Local Audit Department, Deputy Director/Deputy Controller, Class-I(Gazetted) Recruitment and Promotion (Second Amendment)Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta, Himachal Pradesh.

**Amendment of the column 2 of Annexure-"A".**—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Local Audit Department, Deputy Director/Deputy Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 :

For the existing provisions against column No 2, the following shall be substituted, namely:—

“5 (Five)”

By order,  
Sd/-  
Additional Chief Secretary (Finance).

**ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप—मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0**

1. Vivek Gautam s/o Sh. Bali Ram, r/o Village Kanoun, P.O. Dhon Kothi, Tehsil Sadar, District Bilaspur, H.P.
2. Deepika Devi d/o Sh. Chhota Ram, r/o V.P.O. Jamthal, Tehsil Sadar, District Bilaspur H.P. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता—पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 24—01—2018 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 16—12—2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
विवाह पंजीकरण अधिकारी,  
बड़सर, उप—मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

**ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप—मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0**

1. राजीव कुमार पुत्र श्री मदन लाल, वासी गांव सठवीं, डा0 सठवीं, तह0 ढटवाल, जिला हमीरपुर हि0 प्र0।
2. आरती पुत्री श्री सुभाष चन्द, वासी गांव शस्त्र, दडूही, तह0 हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह करने की अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन किया है। अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता—पिता को इस विवाह की अनुमती प्रदान करने बारे एतराज हो तो दिनांक 23—03—2018 तक या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 14—12—2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
विवाह पंजीकरण अधिकारी,  
बड़सर, उप—मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

**In the Court of Shri Arindam Chaudhary, IAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Vipin Kumar s/o Shri Joginder Singh, r/o Village Barsar, Tehsil Barsar, District Hamirpur H.P. c/o Sh. sanjeev Kumar s/o Sh. Chaman Lal, r/o VPO Daruhi, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Nitika Devi d/o Shri Dev Raj, r/o Village Bhararta, P.O. Gwal Pather, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) . . Applicants.

*Versus*

General Public

. . . Respondents.

Subject.— Notice of the Intended Marriage.

Vipin Kumar and Nitika Devi have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit in the court of undersigned in which they stated that they got married within three Calendar months from the date of application filed.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 20-01-2018. The objection received after 20-01-2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 28-12-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,  
Hamirpur (H.P.).*

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

ब मुकद्दमा :

श्रीमती मन्जू कुमारी पत्नी अनिल कुमार, गांव तुखाणी, डा0 बणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विवाह पंजीकरण बारे।

श्रीमती मन्जू कुमारी पत्नी अनिल कुमार, गांव तुखाणी, डा0 बणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 ने हाजर अदालत आकर प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका विवाह अनिल कुमार पुत्र दलजीत

सिंह, गांव तुखाणी, डा0 बणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के साथ दिनांक 21-01-2015 को हिन्दु रीति-रिवाज के अनुसार हुआ है। परन्तु गलती से उनके विवाह का पंजीकरण ग्राम पंचायत बणी के कागजात में न हुआ है प्रार्थिन ने निवेदन किया है कि विवाह पंजीकरण बारे आदेश सचिव ग्राम पंचायत बणी को दिये जावें।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा परिवार के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी मन्जू कुमारी मय अनिल कुमार के विवाह पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह हाजिर अदालत आकर दिनांक 23-01-2018 से पूर्व पेश कर सकता है अन्यथा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत को मन्जू कुमारी मय अनिल कुमार के विवाह पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह नोटिस आज दिनांक 21-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

### ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

ब मुकद्दमा :

श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 कर्म चन्द, गांव ग्राऊड, तप्पा कंगड, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . . वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

वसीयत पंजीकरण बारे।

श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 कर्म चन्द, गांव ग्राऊड, तप्पा कंगड, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने हाजिर अदालत आकर प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पति ने अपनी मृत्यु से पूर्व जो वसीयत अपने परिवार/वारसान के नाम की है उसका पंजीकरण कागजात माल ज्योली देवी में न हुआ है प्रार्थिन ने निवेदन किया है इस वसीयत पंजीकरण बारे आदेश सम्बन्धित गिरदावर हल्का को दिये जावें।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा परिवार के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कर्म चन्द पुत्र मुन्शी राम, निवासी ग्राऊड, तप्पा कंगड, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने मृत्यु से पूर्व अपनी चल-अचल सम्पत्ति की वसीयत मुताबिक मनजीत सिंह पुत्र मुजहर एक भाग, श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी मुजहर एक भाग, पुराना मकान सूरज सिंह, दिनेश कुमार पिसरान स्व0 संजीव कुमार पुत्र कर्म सिंह एक भाग, नन्द लाल, मनोज कुमार पिसरान व श्रीमती प्रोमिला देवी पत्नी स्व0 केहर सिंह पुत्र कर्म चन्द भाग बराबर (एक) उपरोक्त सभी को बारसान बनाया है। यदि किसी को भी उक्त वसीयत पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-02-2018 से पूर्व हाजिर अदालत आकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश कर सकता है। अन्यथा सम्बन्धित गिरदावर हल्का को उक्त वर्णित वसीयत पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह नोटिस आज दिनांक 21-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील खुण्डियां,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

केस नं० : 02/NT/2017/Misc.

तारीख पेशी : 16-1-2018

1. श्री विरिन्द्र सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी गांव टिप वूहला, डाकघर सुराणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

2. श्रीमती विजय लक्ष्मी पुत्री श्री लायक राम, निवासी गांव टिप वैहला, डाकघर च्योग, तहसील ठियोग, जिला शिमला।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकदमा.—हि0 प्र0 शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 की धरा 8(4) के तहत शादी का पंजीकरण.

नोटिस बनाम आम जनता :

प्रार्थी श्री विरिन्द्र सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी गांव टिप वूहला, डाकघर सुराणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया कि मेरी शादी दिनांक 5-6-2017 को श्रीमती विजय लक्ष्मी पुत्री श्री लायक राम, निवासी गांव टिप वैहला, डाकघर च्योग, तहसील ठियोग, जिला शिमला के साथ शादी की है, परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत सुराणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न हो सका है। अतः हमारी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत सुराणी के अभिलेख में दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इशतहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर एतराज हो तो वह दिनांक 16-1-2018 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री विरिन्द्र सिंह पुत्र श्री शेर सिंह व श्रीमती विजय लक्ष्मी पुत्री श्री लायक राम की शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत सुराणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**In the Court of Executive Magistrate Dharamshala, Tehsil Dharamshala,  
District Kangra, H.P.**

1. Shri Sanjeet Kumar s/o Gurcharan Singh, r/o Sakoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra.
2. Smt. Divya d/o Sh. Ramesh Kumar, r/o Yol Cantt, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H. P.

Versus

1. The General Public
2. Commissioner, Municipal Corporation Dharamshala.

**PUBLIC NOTICE**

Whereas the above named applicant have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 18-02-2017 at her but has not been found entered in the records of the Registrar of marriages *i. e.* Commissioner, Municipal Corporation Dharamshala.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriages with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 16-1-2018 at 10.00 A.M. at Tehsil Office Dharamshala either personally or through agent.

In the event of their failure to do so orders shall be passed *ex-parte* against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued today under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate,  
Tehsil Dharamshala, District Kangra, H. P.*

**ब अदालत श्री लक्ष्मण सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0**

तारीख दायरा : 17/07/2017

तारीख पेशी : 7-02-2018

श्री काली दास पुत्र खैमदी पुत्र घान्थू, वासी महाल उमरी, मौजा आलमपुर, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

श्री सुभाष चन्द पुत्र जगदीश चन्द पुत्र रूप सिंह व अन्य वासी महाल उमरी, मौजा आलमपुर उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम :-1. सुभाष चन्द पुत्र जगदीश चन्द पुत्र रूप सिंह, 2. राजेन्द्र सिंह पुत्र, 3. मनमोहन सिंह पुत्र व 4. माहिन्द्र सिंह पुत्र व रूप सिंह पुत्र नामालूम सभी वासी महाल उमरी मौजा आलमपुर, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए भूमि खेवट नं0 42, खतौनी नं0 50, खसरा नं0 333, रकबा तादादी 0-99-45 है0, वाक्या महाल उतरी, मौजा आलमपुर, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 जमाबन्दी बाबत वर्ष 2012-2013.

प्रार्थी श्री काली दास पुत्र खैमदी पुत्र घान्थू, वासी महाल उमरी, मौजा आलमपुर, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि० प्र० ने इस अदालत में खाता नं० 42 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण 1 ता० 4 की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीपक्ष ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इशतहार अखबारी राजपत्र हि० प्र० व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 7-2-2018 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकदमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 6-12-2017 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल,  
जिला कांगड़ा, हि० प्र०।

### ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

जय सिंह आयु 30 वर्ष पुत्र सरमू राम, निवासी शठाल, डा० अर्सू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि० प्र० प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में जय सिंह आयु 30 वर्ष पुत्र सरमू राम, निवासी शठाल, डा० अर्सू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि० प्र० ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री अदिति का जन्म दिनांक 30-03-2011 को हुआ है। उसका नाम अज्ञानता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं करवा सका हूँ और जिस विषय उसने अपना शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत अर्सू में उसके परिवार रजिस्टर में जन्म तिथि व नाम दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अदिति पुत्री जय सिंह का नाम ग्राम पंचायत अर्सू में काटने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 30-01-2018 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त अदिति का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत अर्सू में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत अर्सू को पंजीकृत नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0**

श्री बीरबल पुत्र श्री लजे राम, गांव डवारी फाटी खरगा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0  
वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी

उनवान मुकद्दमा जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में श्री बीरबल पुत्र श्री लजे राम, गांव डवारी फाटी खरगा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके एक पुत्र का देहान्त हुआ है। उसका नाम अज्ञानता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में कटवा नहीं सका हूं और उसके पुत्र की मृत्यु दिनांक 12-05-2012 में हुई है जिस विषय उसने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत खरगा में उसके परिवार रजिस्टर में नाम काटने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को हंस राज पुत्र बीरबल के नाम व मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत खरगा से काटने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 30-01-2018 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त नाम व मृत्यु ग्राम पंचायत खरगा में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत खरगा को नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0**

रोशन लाल पुत्र श्री तोया राम, निवासी खदेच, डा0 पोशना, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0  
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी

उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में रोशन लाल पुत्र श्री तोया राम, निवासी खदेच, डा0 पोशना, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरी एक पुत्री अंजू देवी का जन्म दिनांक 20-10-1993 को हुआ है। उसका नाम अज्ञानता के कारण इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं करा सका हूं और जिस विषय उसने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत बाडी में उसके परिवार रजिस्टर में नाम व जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अंजू देवी पुत्री रोशन लाल का नाम ग्राम पंचायत बाडी में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 30-01-2018 तक

हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उपरोक्त अंजू देवी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बाडी में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत बाडी को पंजीकृत नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 16-12-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

### ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

गोपाल दत्त पुत्र श्री खिम दास, गांव पनाशा, फाटी पोशना, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0  
...वादी।

बनाम

आम जनता

...प्रतिवादी

उनवान मुकद्दमा.—जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में गोपाल दत्त पुत्र श्री खिम दास, गांव पनाशा, फाटी पोशना, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री तान्या का जन्म व नाम अज्ञानता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं करा सका हूं, और उसकी पुत्री तान्या का जन्म दिनांक 29-07-2002 को हुआ है। जिस विषय उसने अपना ब्यान हल्फीया भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत पोशना में उसके परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को तान्या पुत्री गोपाल दत्त के नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पोशना में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 31-01-2018 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त नाम व जन्म ग्राम पंचायत पोशना में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत पोशना को पंजीकृत नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-12-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

### ब अदालत श्री नन्द लाल कैथला, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 8/2017

तारीख दायर : 28-06-2017

श्री हरी सिंह पुत्र श्री गोरखू, निवासी गांव धाला, डाकघर जाहू, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0  
...प्रार्थी।

## बनाम

आम जनता

...प्रतिवादी।

दरखास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं० 51/143, वाका चक कलेडा, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि० प्र०।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरखास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष श्री हरी सिंह पुत्र श्री गोरखू निवासी गांव धाला, डाकघर जाहू, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि० प्र० इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक ग्राम पंचायत अभिलेख जाहू में प्रार्थी का नाम हरी सिंह सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं० 51/143, वाका चक कलेडा, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि० प्र० की मलकीयत में हिरा सिंह पुत्र गोरखू राम दर्शाया गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम हरी सिंह है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने नकल परिवार, आधार कार्ड, शपथ-पत्र संलग्न दरखास्त कर रखा है। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में हिरा सिंह के स्थान पर हरी सिंह दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में हरी सिंह दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर एतराज हो तो वह दिनांक 20-01-2018 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 21-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

नन्द लाल कैथला,  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री नन्द लाल कैथला, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ननखरी,  
जिला शिमला, हि० प्र०

मुकद्दमा नं० 11/2017

तारीख दायर 28/07/2017

श्रीमती मेघू देवी पत्नी श्री सुरत सिंह, निवासी गांव अड्डू, डाकघर दनावली, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि० प्र० ... प्रार्थी।

## बनाम

आम जनता

...प्रतिवादी।

दरखास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं० 2/4, वाका चक अड्डू, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि० प्र०।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरखास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थिया श्रीमती मेघू देवी पत्नी श्री सुरत सिंह निवासी गांव अड्डू, डाकघर दनावली, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि० प्र० ने इस आशय के साथ प्रस्तुत

की है कि मुताबिक ग्राम पंचायत अभिलेख अड़्डू में प्रार्थिया का नाम मेघू देवी सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं० 2/4, वाका चक अड़्डू, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि० प्र० की मलकीयत में कला देवी पत्नी श्री सुरत सिंह दर्शाया गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थिया का सही नाम मेघू देवी है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थिया ने नकल परिवार, आधार कार्ड, शपथ-पत्र संलग्न दरखास्त कर रखा है। प्रार्थिया अपना नाम उक्त माल कागजात में कला देवी के स्थान पर मेघू देवी उर्फ कला देवी दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में कला देवी उर्फ मेघू देवी दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-01-2018 को प्रातः 10.00 बजे असागतन/वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 21-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

नन्द लाल कैथला,  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री नन्द लाल कैथला, कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील ननखरी,  
जिला शिमला, हि० प्र०

श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री ईश्वर दास, निवासी गांव लाहडू, डाकघर खडाहन, तहसील ननखरी,  
जिला शिमला, हि० प्र० प्राथी।

बनाम

आम जनता

. प्रतिवादी।

ग्राम पंचायत जाहू के परिवार रजिस्टर में नाम दुरुस्त करने बारा प्रार्थना-पत्र।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री ईश्वर दास, निवासी गांव लाहडू, ग्राम पंचायत खुन्नी पनोली, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि० प्र० ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया का नाम पंचायत अभिलेख में कला देवी दर्ज है जो कि सही नहीं है। प्रार्थिया का सही नाम लीला देवी है। प्रार्थिया अपना नाम कला देवी के स्थान पर लीला देवी दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया का नाम ग्राम पंचायत खुन्नी पनोली के अभिलेख में परिवर्तन करने बारा मे कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 20-01-2018 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजाने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समागत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया का नाम परिवर्तन करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

नन्द लाल कैथला,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि० प्र०)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश**

प्रकरण संख्या : 32/17

श्री नूर आलम पुत्र श्री धूमन, निवासी गुज्जर कालौनी (घौला कुंआ), तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नूर आलम पुत्र श्री धूमन, निवासी गुज्जर कालौनी (घौला कुंआ), तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र जैतून की जन्म तिथि 27-07-2014 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् घौला कुंआ में अपने उपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 27-07-2014 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को जैतून की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् घौला कुंआ, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 18-01-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त जैतून की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-12-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**In the Court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer-cum- Sub Divisional Magistrate  
Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

**NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954**

In the matter of :

1. Shri Guru Dutt Chauhan s/o Rangi Lal, r/o Village Banaur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.
2. Smt. Jyoti Tomar d/o Shri Ragubir Singh, r/o Ward No. 5 Ravi Dass Gali Kalayanpur, Vikas Nagar, District Dehradun, U.K.

*Versus*

General Public

*Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).*

Whereas, Shri Guru Dutt Chauhan s/o Rangi Lal, r/o Village Banaur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Jyoti Tomar d/o Shri Ragubir Singh, r/o Ward No. 5 Ravi Dass Gali Kalayanpur, Vikas Nagar, District Dehradun, U.K. have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 on dated 22-12-2017 stating therein that they have solemnized their marriage on 11-11-2017 at their residence Village Babaur, Tehsil Paonta Sahib and they have living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerend and General Public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 11-11-2017 between Shri Guru Dutt Chauhan s/o Rangi Lal, r/o Village Banaur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Jyoti Tomar d/o Shri Ragubir Singh, r/o Ward No. 5 Ravi Dass Gali Kalayanpur, Vikas Nagar, District Dehradun, U.K. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 22-12-2017.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS),  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,*  
*Paonta Sahib, District Sirmaur.*

**In the Court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer-cum- Sub Divisional Magistrate  
Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

**NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954**

In the matter of :

Parvinder Singh s/o Tejveer Singh, r/o Village Charanawala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

2. Smt. Reena Kumari d/o Shri Gian Chand, r/o Village Pandthiani, P.O. Dhangota, Tehsil Badsar, District Hamirpur, H.P.

*Versus*

General Public

*Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).*

Whereas Parvinder Singh s/o Tejveer Singh, r/o Village Charanawala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Reena Kumari d/o Shri Gian Chand, r/o Village Pandthiani, P.O. Dhangota, Tehsil Badsar, District Hamirpur, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 on dated 16-12-2017 stating therein that they have solemnized their marriage on 13-12-2017 at their Geeta Bhawan, Paonta Sahib and they have living together as husband and wife ever since then. In addition to it, it is further stated that Smt. Reena Kumari had married prior to this marriage and get divorce from the competent court *i.e.* ADJ Hamirpur from his previous husband. Hence notices are given to all concerend and General

Public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 13-12-2017 between Parvinder Singh s/o Tejveer Singh, r/o Village Charanawala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Reena Kumari d/o Shri Gian Chand, r/o Village Pandthiani, P.O. Dhangota, Tehsil Badsar, District Hamirpur, H.P. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 16-12-2017.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS),  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,*

*Paonta Sahib, District Sirmaur.*

---

**In the Court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer-cum- Sub Divisional Magistrate  
Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

1. Shri Gurpreet Singh s/o Gurcharan Singh, r/o Ward No. 08 Shergarh, Doilwala, Dehradun, U.K.
2. Smt. Manpreet Kaur d/o Shri Jagjeet Singh, r/o House No. 180 Ward No. 3 Taruwala, Tehsil paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

*Versus*

General Public

*Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).*

Whereas Shri Gurpreet Singh s/o Gurcharan Singh, r/o Ward No. 08 Shergarh, Doilwala, Dehradun, U.K. and Smt. Manpreet Kaur d/o Shri Jagjeet Singh, r/o House No. 180 Ward No. 3 Taruwala, Tehsil paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 on dated 27-12-2017 stating therein that they have solemnized their marriage on 02-11-2017 at their residence Village Shergarh Doiwala, and they have living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerend and General Public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 02-10-2017 between Shri Gurpreet Singh s/o Gurcharan Singh, r/o Ward No. 08 Shergarh, Doilwala, Dehradun, U.K. and Smt. Manpreet Kaur d/o Shri Jagjeet Singh, r/o House No. 180 Ward No. 3 Taruwala, Tehsil paonta Sahib, District Sirmaur, H.P he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

---

Issued under my hand and office seal of this court on 27-12-2017.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS),  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,*  
*Paonta Sahib, District Sirmaur.*

---

**In the Court of Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

**NOTICE U/S 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954**

Whereas Radha Krishan s/o Sh. Mukhiya Ram, r/o Village Nawada, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Laxmi Devi d/o Sh. Dhanno Singh, r/o Village Herbertpur, Tehsil Vikas Nagar, District Dehradun, U.K. have filed an application for registration of their marriage solemnized on 09-08-1964 and they are living as husband and wife ever since then.

Notice are given to all concerned and Geneal Public to this effect that if any body has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 09-08-1964 between above said Radha Krishan s/o Sh. Mukhiya Ram, r/o Village Nawada, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Laxmi Devi d/o Sh. Dhanno Singh, r/o Village Herbertpur, Tehsil Vikas Nagar, District Dehradun, U.K. they should file their written objections and appear personally 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 30-12-2017.

Seal.

Sd/-,  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,*  
*Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).*

---

**ब अदालत श्री देव पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर,  
हिमाचल प्रदेश**

श्री शशी पाल पुत्र श्री रूलदा राम, निवासी ग्राम व डा0 भूसथला, तहसील इस्माईलाबाद, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा, हाल कर्मचारी भारतीय सेना Ist Para SF, C/O 56 A.P.O. Nahan, District Sirmaur, H.P.

बनाम

आम जनता

श्री शशी पाल पुत्र श्री रूलदा राम, निवासी ग्राम व डा0 भूसथला, तहसील इस्माईलाबाद, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा, ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री श्रेया पुत्री श्री शशी पाल व श्रीमती परवेश देवी की जन्म तिथि

26-3-2003 है जो नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 29-01-2018 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर श्रेया पुत्री श्री शशी पाल व श्रीमती परवेश देवी की जन्म तिथि 26-03-2003 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देव पाल,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),  
नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

### हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

धर्मशाला-176215, 11 जनवरी, 2018

संख्या वि0स0:-विधायन-चुनाव/1-11/2018.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की दिनांक 11 जनवरी, 2018 को हुई बैठक में श्री हंस राज को सर्व-सम्मति से विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया।

आदेश द्वारा,  
सुन्दर सिंह वर्मा,  
सचिव,  
हि0 प्र0 विधान सभा।

### HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA

#### NOTIFICATION

*Dharamshala, the 11<sup>th</sup> January, 2018*

**No. VS-Legn.-Election/1-11/2018.**— In the meeting of the Himachal Pradesh Legislative Assembly held on the 11<sup>th</sup> January, 2018 (fore-noon), Shri Hans Raj, was unanimously elected as Deputy Speaker of the Himachal Pradesh Legislative Assembly.

By order,  
SUNDER SINGH VERMA,  
Secretary,  
H.P. Vidhan Sabha.

